

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

फैजाबाद, झॉंसी, जालौन, बॉदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बदायूँ, आजमगढ़, मऊ,
जौनपुर, हरदोई, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद,
गौतमबुद्ध नगर, गण्डा, बुलन्दशहर, अमेठी, पीलीभीत, बरेली, कुशीनगर, देवरिया,
महाराजगंज, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, आगरा, फिरोजाबाद,
मैनपुरी, मथुरा, एटा, कानपुर देहात, रामपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, फतेहपुर, अलीगढ़ एवं
अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2015

विषय: वर्ष 2014 में अवर्षण के कारण सूखाग्रस्त जनपदों में नलकूपों एवं हैंडपंपों को रिबोर कराने तथा मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी दिये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014 में अवर्षण के कारण नगर विकास विभाग एवं मत्स्य विभाग द्वारा प्रेषित योजना को सम्मिलित करते हुये सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के आदेश दिनांक 23.01.2015 द्वारा उक्त विभागों के प्रेषित योजनाओं में से मात्र पेयजल की उपलब्धता हेतु नलकूपों एवं हैंडपंपों को रिबोर कराने तथा मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी दिये जाने के लिये क्रमशः रु0 47.25 करोड़ तथा 5.96 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नगर विकास विभाग एवं मत्स्य उत्पादन विभाग द्वारा संबंधित धनराशि की स्वीकृति हेतु जनपदवार प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— अतः वर्ष 2014 में अवर्षण के कारण सूखाग्रस्त जनपदों में नलकूपों एवं हैंडपंपों को रिबोर कराने तथा मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी दिये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पेयजल हेतु रु0 47,25,00,000/- तथा मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी के लिये रु0 5,86,10,708/- अर्थात् कुल रु0 53,11,10,708/- (रुपये तिरपन करोड़ ग्यारह लाख दस हजार सात सौ आठ मात्र) की धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नलकूपों एवं हैंडपंपों को रिबोर कराने हेतु							मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	
क्र०सं०	जनपद का नाम	शहरी क्षेत्रों में रिबोर हेतु प्रस्तावित नलकूपों / हैंड पम्पों की संख्या एवं स्वीकृति		ग्रामीण क्षेत्रों में रिबोर हेतु प्रस्तावित नलकूपों / हैंड पम्पों की संख्या एवं स्वीकृति		कुल योग (रु० लाख में) (अ)+(ब)	लाभार्थियों की संख्या	इनपुट पर रु० 6000/- प्रति हे० की दर से
		संख्या	धनराशि (रु० लाख में) (अ)	संख्या	धनराशि (रु० लाख में) (ब)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फैजाबाद	50	13.55	60	16.20	29.75	243	13.2966
2	झाँसी	28	17.16	40	24.52	41.68	271	17.48043
3	जालौन	79	50.92	40	24.00	74.92	262	16.47792
4	बोंदा	8	4.57	1/20	31.20	35.77	500	31.5885
5	हमीरपुर	2/32	68.18	70	43.40	111.58	300	18.00
6	महोबा	13	8.32	12	7.68	16	233	18.1758
7	चित्रकूट	5	3.45	20	13.80	17.25	129	9.17784
8	बदायूँ	1/58	45.01	40	16.04	61.05	110	5.74254
9	आजमगढ़	26	3.05	160	48.80	51.85	185	8.76192
10	मऊ	1/36	45.98	30	8.91	54.89	130	7.8
11	जौनपुर	4/89	186.89	2/148	131.06	317.95	453	18.41448
12	हरदोई	63	18.54	150	44.10	62.64	340	22.3569
13	उन्नाव	34	9.89	100	29.10	38.99	499	34.6086
14	मुजफ्फरनगर	1/90	69.28	400	196.80	266.08	16	1.13682
15	शामली	0	0	100	50.20	50.2	10	0.8457
16	सहारनपुर	60	37.86	40	25.24	63.1	150	11.484
17	मेरठ	120	39.6	225	96.08	135.68	213	13.18476
18	गाजियाबाद	65	27.76	30	12.78	40.54	23	1.70826
19	गौतमबुद्ध नगर	7	2.99	40	17.04	20.03	27	2.42418
20	हापुड़	48	20.4	20	8.52	28.92	53	3.2838
21	बुलन्दशहर	60	23.14	80	30.88	54.02	259	16.4961
22	अमेठी	32	13.01	50	13.55	26.56	171	5.68104
23	पीलीभीत	35	12.53	100	35.80	48.33	307	11.01696
24	बरेली	180	59.22	200	71.60	130.82	400	14.2617
25	कुशीनगर	28	8.37	200	59.60	67.97	1094	43.242
26	देवरिया	16	4.78	12	3.49	8.27	1210	42.7242
27	महाराजगंज	62	18.54	100	29.10	47.64	1785	58.344
28	कानपुर नगर	304	164.26	150	81.00	245.26	153	8.5377
29	इटावा	121	65.95	250	136.25	202.2	352	13.104
30	कन्नौज	20	11.8	25	14.75	26.55	143	6.27234
31	फर्रुखाबाद	3/90	136.89	200	80.20	217.09	44	2.86404
32	औरैया	4/106	146.82	100	40.40	187.22	35	1.98978
33	आगरा	186	114.95	2/75	86.35	201.3	76	2.96502

34	फिरोजाबाद	3 / 4	145.75	1 / 300	220.40	366.15	467	16.8738
35	मैनपुरी	5 / 48	128.26	60	25.32	153.58	128	7.5405
36	मथुरा	10 / 22	150.84	2 / 70	58.44	209.28	65	4.24998
37	एटा	2 / 82	134.94	80	36.08	171.02	120	5.9814
38	कानपुर देहात	2 / 86	126.44	100	43.20	169.64	241	13.88238
39	रामपुर	12	8	50	20.00	28	314	15.75
40	सोनभद्र	0	0	20	16.60	16.6	160	9.63204
41	कौशाम्बी	2 / 34	67.33	1 / 100	69.70	137.03	222	8.76
42	फतेहपुर	1 / 50	45.2	100	41.50	86.7	250	10.831188
43	अलीगढ़	5 / 21	307.21	190	85.69	392.9	128	7.43094
44	अमरोहा	15	5.18	20	6.90	12.08	36	1.72692
		46 / 2854	2572.81	9 / 4377	2152.27	4725.08	12307	586.107078

3- सूखा से निपटने हेतु पेयजल की व्यवस्था किये जाने के लिये रिबोर किये जाने वाले चिन्हित नलकूपों/हैंडपंपों की जनपदवार योजना नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे सम्मिलित कर मेमारेण्डम भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा उक्त के सापेक्ष धनराशि प्राप्त हुई है। अतः जिलाधिकारी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी से उक्त प्रेषित योजना प्राप्त कर धनराशि का व्यय एवं योजना का क्रियान्वय सुनिश्चित करेंगे। मत्स्य बीजो हेतु प्राप्त इनपुट सब्सिडी के वितरण में भी इसी प्रकार जिला स्तरीय अधिकारी से उक्त प्रेषित योजना प्रस्तरवार धनराशि का व्यय एवं योजना का क्रियान्वय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का वितरण वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-755/2015-दस/2015, दिनांक 21 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है। अतः इसका ऑन लाइन बजट आवंटन नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के कोषागार द्वारा ही बजट की फीडिंग की जायेगी।

5- उक्त व्यय प्रथमतः 8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेन्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

7- ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

8- इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

- 9- शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।
- 10- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 11- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 12- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 13- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आइ में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 14- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भविष्या,
25/6/15
(बीना जाहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

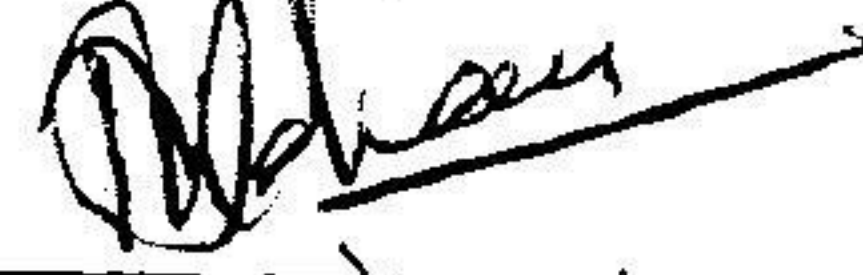
संख्या:-247 (1)/1-11-2015-26(जी)/2014, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पशुधन एवं मत्स्य विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।

- 7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

अनु सचिव ।